भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 80*

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एमबीबीएस चिकित्सक और जनसंख्या का अनुपात

***80. श्री मुरारी लाल मीना:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एमबीबीएस चिकित्सक और जनसंख्या के अनुपात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा राजस्थान सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एमबीबीएस चिकित्सक और जनसंख्या के अनुपात में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 29 नवंबर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 80 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषदों (एसएमसी) और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) में 13,86,145 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की 80% उपलब्धता और लगभग 6.14 लाख आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता मानते हुए, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:811 है जो डब्ल्यूएचओ के 1:1000 के मानक से बेहतर है। राजस्थान सहित एसएमसी/पूर्ववर्ती एमसीआई/एनएमसी के साथ पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक** पर है।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और इसके बाद एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2014 से पहले के 387 से आज की स्थिति के अनुसार 780 अर्थात् 102% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में वर्ष 2014 से पहले के 51,348 से आज की स्थिति के अनुसार 1,18,137 अर्थात् 130% की वृद्धि हुई है और पीजी सीटों में वर्ष 2014 से पहले के 31,185 से आज की स्थिति के अनुसार 73,157 अर्थात् 135% की वृद्धि हुई है।

देश में डॉक्टर/चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों/कदमों में शामिल हैं:-

- जिला/रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जिसके तहत 157 अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों में से 131 नए मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्यशील हैं, जिनमें राजस्थान राज्य के 23 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
- एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 69 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- नए एम्स की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।
- संकाय स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।
- मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया गया।

*****

अनुलग्नक

नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषदों / तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में पंजीकृत और मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता धारक डॉक्टरों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्र.सं.	राज्य चिकित्सा परिषद का नाम	एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश मेडिकल परिषद	105805
2.	अरुणाचल प्रदेश मेडिकल परिषद	1660
3.	असम मेडिकल परिषद	25980
4.	बिहार मेडिकल परिषद	48200
5.	छत्तीसगढ़ मेडिकल परिषद	10962
6.	दिल्ली मेडिकल परिषद	31481
7.	गोवा मेडिकल परिषद	4720
8.	गुजरात मेडिकल परिषद	79169
9.	हरियाणा मेडिकल परिषद	15714
10.	हिमाचल प्रदेश मेडिकल परिषद	7296
11.	जम्मू और कश्मीर मेडिकल परिषद	18720
12.	झारखंड मेडिकल परिषद	8544
13.	कर्नाटक मेडिकल परिषद	141155
14.	मध्य प्रदेश मेडिकल परिषद	49730
15.	महाराष्ट्र मेडिकल परिषद	209540
16.	पूर्ववर्ती भारतीय मेडिकल परिषद	52672
17.	मिजोरम मेडिकल परिषद	156
18.	नागालैंड मेडिकल परिषद	166
19.	ओडिशा मेडिकल रजिस्ट्रेशन परिषद	29792
20.	पंजाब मेडिकल परिषद	53446
21.	राजस्थान मेडिकल परिषद	49049
22.	सिक्किम मेडिकल परिषद	1880
23.	तमिलनाडु मेडिकल परिषद	149399
24.	केरल मेडिकल परिषद	73070
25.	उत्तर प्रदेश मेडिकल परिषद	99737
26.	उत्तराखंड मेडिकल परिषद	10249
27.	पश्चिम बंगाल मेडिकल परिषद	78759
28.	त्रिपुरा मेडिकल परिषद	2683
29.	तेलंगाना मेडिकल परिषद	26411
	कुल योग	**1386145**

स्रोत: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

नोट:- पूर्ववर्ती एमसीआई ने वर्ष 2015 से पंजीकरण बंद कर दिया था।

*****